

जिला



ગઝટ

ગ્રામપણ સરકાર દ્વારા પ્રકાશિત

સધારણ અંક 41 / 2011	વિક્રમ સંવત 2068	3(કૃ) પૌષ 1933 (શા0) જમશેદપુર, મંગલવાર, 13 / 12 / 11
વિશેષ ભૂ—અર્જન પદાધિકારી, સં0—૧, સ્વર્ણરેખા પરિયોજના, માનગો, જમશેદપુર દ્વારા નિકાલે ગયે ભૂ— અર્જન વિભાગ કા અધિસૂચના।		
વિષય સૂચી ૧. ભૂ—અર્જન વિભાગ સે સમ્વાધિત અધિસૂચના।	પૃષ્ઠ સંખ્યા 01—04	

ગ્રામપણ સરકાર,
સમાહરણાલય, પૂર્વી સિંહભૂમ, જમશેદપુર,
| ભૂ—અર્જન શાખા |
અધિસૂચના

સંખ્યા —827

/

દિનાંક —25.11.11

ચુંકિ અપર ઉપાયુક્ત, પૂર્વી સિંહભૂમ, જમશેદપુર કો યહ પ્રતીત હોતા હૈ કી ગ્રામ – ડુમુરઢીહા, પરગના , થાના—ઘાટશિલા, થાના નં— 524, જિલા—પૂર્વી સિંહભૂમ મેં સાર્વજનિક પ્રયોજનાર્થ અર્થાત સરડીહ ઉપ વિતરણી ઓ0 એલ0 58 નિર્માણ કે લિએ સરકારી ખર્ચ પર સરકાર દ્વારા જમીન લી જાની અપેક્ષિત હૈ, ઇસલિએ ઇસકે દ્વારા અધિસૂચિત કિયા જાતા હૈ કી ઉપર્યુક્ત પ્રયોજનાર્થ પૂર્વકત ગ્રામ— ડુમુરઢીહા, કે ભીતર ભૂમિ કા 102 ટુકડા અપેક્ષિત હૈ જો માનક માપ સે કમોવેશ જો 18.10 એકડ કે બરાબર હોતા હૈ જિસકા પ્લોટ સંખ્યા નિર્માંકિત હૈ :—

અર્જનીય પ્લોટ સંખ્યા એવં સીમા સૂચી નિર્માંકિત હૈ :—

અર્જનાધીન ભૂમિ કી પૂર્ણ ખેસરા સંખ્યા—758, 383, 382, 378, 377, 353, 297, 299, 279, 236, 235, 224, 225, 232, 229, 228 તથા અંશ ખેસરા સંખ્યા— 12, 15, 13, 384, 385, 386, 400, 399, 387, 14, 17, 388, 380, 373, 379, 22, 23, 375, 374, 357, 356, 354, 351, 352, 355, 32, 36, 35, 37, 39, 45, 44, 46, 47, 48, 52, 49, 50, 51, 157, 302, 339, 338, 334, 303, 304, 305, 307, 312, 296, 298, 300, 291, 285, 286, 289, 287, 288, 280, 277, 278, 281, 282, 245, 247, 249, 248, 246, 244, 223, 240, 237, 234, 231, 230, 226, 227, 163, 164, 165, 166, 162, 161, 157, 376 એવં 160

ચૌહદી ખણ્ડ—ક

ઉત્તર :— અંશ ખેસરા સંખ્યા—12, 15, 14, 382, 22, 23, 355, 32, 35, 37, 39, 45 એવં 46

પૂરબ :— અંશ ખેસરા સંખ્યા—47 એવં 46

દક્ષિણ :— અંશ ખેસરા સંખ્યા—44, 39, 37, 35, 352, 351, 354, 356, 357, 374, 379, 373, 380, 381, 388, 399, 400, 386, એવં 385,

પશ્ચિમ :— સંયુક્ત સીમા રેખા ગ્રામ—ઉદાલ નં—523

(2)

चौहदी खण्ड—ख

उत्तर :—]अंश खेसरा संख्या— 46, 47, 48, 52, 21, 57, 302, 339, एवं 334
पूरब :—}

दक्षिण :— अंश खेसरा संख्या—334

पश्चिमः— अंश खेसरा संख्या—334, 338, 339, 157, 302, 50, 49 एवं 47,

चौहदी खण्ड—ग

उत्तर :— अंश खेसरा संख्या— 305, 300, 291, 285, 281, 282, 249, 245, 244, 223, 240, 237, 231, 230, 229, 63, 302, 157,

पूरब :— संयुक्त सीमा रेखा ग्राम—वनकाटी नं०—525

दक्षिण :— अंश खेसरा संख्या—160, 161, 166, 165, 164, 227, 226, 225, 247, 249, 277, 280, 287, 288, 289, 291, 296, 312, 307 एवं 334

पश्चिमः— अंश खेसरा संख्या—334,

नोट :— अनावाद झारखण्ड सरकार भूमि का खेसरा संख्या—381, 349, 158, 159, 239 का रक्बा 0.24 एकड़ भूमि को अर्जन से मुक्त कर किया गया है।

यह अधिसूचना भू—अर्जन अधिनियम 1,1894 की धारा—4 के उपबन्धों के अधीन तथा बिहार अधिनियम 11 जून 1961 द्वारा संशोधित उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिनका इससे सम्बन्ध हो भूमि का नक्शा विशेष भू—अर्जन पदाधिकारी, संख्या—1, सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

अपर अपायुक्त पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, विशेष भू—अर्जन पदाधिकारी संख्या—1, सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर और उनके कर्मचारियों तथा इस योजना से सम्बन्ध आरंभिक अनुसंधान में तत्समय लगें कार्यपालक अभियंता बराज प्रमण्डल, गालूडीह के पदाधिकारी और कर्मचारियों को भूमि पर जाने उसका सर्वेक्षण करने तथा उक्त अधिनियम की धारा—4 की उपधारा (2) में तथा उपबंधित या विनिनिष्ट अपने कार्य के समूचित निष्पादन के लिए उपेक्षित अन्य सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

इस अधिसूचना की प्रकाशन की तिथि अथवा इसकी प्रति सामिल होने के 30 दिनों के भीतर धारा—5(ए) के अन्तर्गत सम्बन्ध व्यक्ति द्वारा उक्त धारा के अधीन अपर उपायुक्त, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर के समक्ष, विशेष भू—अर्जन पदाधिकारी, सं०—1, सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर के कार्यालय में दाखिल की गई अर्जन सम्बन्धी अपत्तियों पर विचार किया जायेगा।

₹0/-

विशेष भू—अर्जन पदाधिकारी संख्या—1,
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।

₹0/-

अपर उपायुक्त,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।
लगातार—3

(3)

ज्ञापांक 827 /

जमशेदपुर,

दिनांक – 25.11.11

प्रतिलिपि :— निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड, राँची को जमशेदपुर से प्रकाशित होने वाले दो दैनिक समाचार पत्र प्रभात खबर / उदितवाणी, हिन्दुस्थान में प्रकाशनार्थ / उप-समाहत्ता प्रभारी, जिला गजटशाखा, पूर्वसिंहभूम, जमशेदपुर को जिला जगट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह०/-

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या—1,
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।

झारखण्ड सरकार,
समाहरणालय, पूर्व सिंहभूम, जमशेदपुर,
भू-अर्जन शाखा ।
अधिसूचना

संख्या – 828 /

दिनांक – 25.11.11

चूँकि अपर उपायुक्त, पूर्व सिंहभूम, जमशेदपुर को यह प्रतीत होता है कि ग्राम – वनकाटी चादर नं०-२, परगना , थाना-घाटशिला, थाना नं०- 525, जिला-पूर्वसिंहभूम में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् सरडीह उप वितरणी ओ० एल० 58 निर्माण के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वक्त ग्राम- वनकाटी चादर नं०-२, के भीतर भूमि का 32 टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश जो 7.83 एकड़ के बराबर होता है जिसका प्लॉट संख्या निम्नांकित है :—

अर्जनीय प्लॉट संख्या एवं सीमा सूची निम्नांकित है :—

अर्जनाधीन भूमि की पूर्ण खेसरा संख्या — 1177, 1349, तथा अंश खेसरा संख्या— 1112, 1113, 1115, 1146, 1178, 1179, 1176, 1182, 1175, 1183, 1185, 1184, 1252, 1194, 1195, 1196, 1200, 1201, 1205, 1204, 1202, 1203, 1252, 1257, 1265, 1267, 1266, 1274, 1348 एवं 1351
चौहदी

उत्तर :— अंश खेसरा संख्या—पी० एफ० 1187, 1146, 1178, 1179, 1182, 1185, 1184, 1183, 1252, 1194, 1200, 1201, 1204, 1202, 1203, 1258, 1263, 1267, 1274, 1273, 1304, 1350, 1351, 1346 एवं 1352

पूरब :— संयुक्त सीमारेखा ग्राम— माटिया बाँधी नं०-526

दक्षिण :— अंश खेसरा संख्या—1352, 1346, 1351, 1348, 1304, 1263, 1273, 1274, 1266, 1265, 1257, 1252, 1204, 1205, 1201, 1200, 1196, 1195, 1252, 1183, 1175, 1176, 1146, 1115, 1113, 1112, एवं पी० एफ० 1187

पश्चिम:— मिलान चादर नं०-1

(4)

नोट :— अनावाद झारखण्ड सरकार भूमि का खेसरा संख्या—1258, 1273, 1350, 1346, का रकबा 0.78 एकड़ तथा वनभूमि का खेसरा संख्या पी० ११८७ १२६४, १२६३, १३०४, १३५२, का रकवा 6.95 एकड़ भूमि को अर्जन से मुक्त कर किया गया है।

यह अधिसूचना भू—अर्जन अधिनियम 1,1894 की धारा—4 के उपबन्धों के अधीन तथा बिहार अधिनियम 11 जून 1961 द्वारा संशोधित उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिनका इससे सम्बन्ध हो भूमि का नक्शा विशेष भू—अर्जन पदाधिकारी, संख्या—१, सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

अपर अपायुक्त पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, विशेष भू—अर्जन पदाधिकारी संख्या—१, सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर और उनके कर्मचारियों तथा इस योजना से सम्बन्ध आरंभिक अनुसंधान में तत्समय लगें कार्यपालक अभियंता बराज प्रमण्डल, गालूडीह के पदाधिकारी और कर्मचारियों को भूमि पर जाने उसका सर्वेक्षण करने तथा उक्त अधिनियम की धारा—४ की उपधारा (२) में तथा उपबंधित या विनिनिष्ट अपने कार्य के समूचित निष्पादन के लिए उपेक्षित अन्य सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

इस अधिसूचना की प्रकाशन की तिथि अथवा इसकी प्रति सामिल होने के 30 दिनों के भीतर धारा—५(ए) के अन्तर्गत सम्बन्ध व्यक्ति द्वारा उक्त धारा के अधीन अपर उपायुक्त, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर के समक्ष, विशेष भू—अर्जन पदाधिकारी, सं०—१, सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर के कार्यालय में दाखिल की गई अर्जन सम्बन्धी अपत्तियों पर बिचार किया जायेगा।

ह०/-

विशेष भू—अर्जन पदाधिकारी संख्या—१,
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।

ह०/-

अपर उपायुक्त,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

झापांक 828 /

जमशेदपुर,

दिनांक —25.11.11

प्रतिलिपि :— निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड, राँची को जमशेदपुर से प्रकाशित होने वाले दो दैनिक समाचार पत्र प्रभात खबर / उदितवाणी, हिन्दुस्थान में प्रकाशनार्थ / उप—समाहत्ता प्रभारी, जिला गजटशाखा, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर को जिला जगट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह०/-

विशेष भू—अर्जन पदाधिकारी संख्या—१,
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।